न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक II/निग./भिण्ड/भू.रा./2018/0918

1. प्रेम नारायण पुत्र श्री पाल सिंह त्यागी,
2. प्रहलाद पुत्र श्री सूरतराम त्यागी,
   निवासीगण– कनाथर, तहसील मेहगांव, जिला – भिण्ड (म0प्र0)

—— आवेदकगण

बनाम

1. रूपा उर्फ रूप सिंह पुत्र श्री वंशी गोई, निवासी तहसील गोहद, जिला भिण्ड
2. सकेश देवी गुर्जर पत्नी श्री सर्जन सिंह,
3. कोमेश कुमार पत्नी श्री बृजपाल सिंह गुर्जर, निवासीगण– कनाथर, तहसील मेहगांव, जिला – भिण्ड (म0प्र0)

—— अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 14.12.17, 21.12.17 एवं 27.12.2017 पारित द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार, वृत्त कनाथर के प्रकरण क्रमांक 31/2017–18 से दुखितः होकर।

श्रीमान जी,

आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्न प्रकार है।

निगरानी के संक्षिप्त तथ्यः–

1. यहकि, आवेदकगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी आवेदन पत्र प्रकरण क्रमांक 26/2016–17 निगरानी आदेश दिनांक 23.08.2017 पारित द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर, भिण्ड के विरूद्ध प्रस्तुत कर दी गयी है, जिसमें विवादित भूमि सर्वे नम्बर 1680 रकवा 8 बीघा 12 विस्वा तथा भूमि सर्वे नम्बर 1769 रकवा 8 बीघा 6

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2018/918

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08/06/18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बी.एस.धाकड़ एवं अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थितह। उभयपक्षों के तर्क सुने गए। यह निगरानी नायब तहसीलदार वृत्त कनाथर के प्रकरण क्रमांक 31/2017-18/अ-6 में पारित अंतरिम आदेश पत्रिकाएं दिनांक 14.12.2017, 21.12.2017 एवं 27.12.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। 2/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश पत्रिका दिनांक 14.12.2017 के अनुसार जवाब की प्रति आवेदक अधिवक्ता को दी गई है तथा प्रकरण दिनांक 21.12.2017 को तर्क हेतु नियत किया गया है। दिनांक 21.12.2017 की आदेश पत्रिका के अनुसार आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किए जाने पर उसकी प्रति अनावेदक को दिलाई जाकर प्रकरण दिनांक 27.12.2017 के लिए नियत किया गया है। 27.12.2017 की आदेश पत्रिका के अनुसार अनावेदकों को रजिस्टर्ड डाक से सूचना-पत्र भेजे जाने का आदेश दिया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा किसी प्रकार का ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, जिसके विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत की जा सके। आलोच्य आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा निगरानी प्रस्तुत करना यह दर्शाता है कि वह येन केन प्रकारेण प्रकरण को लंबित रखना चाहते हैं, जो न्यायसंगत नहीं है। अत: यह निगरानी निरस्त करते हुए नायब तहसीलदार को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे उनके समक्ष पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर प्रस्तुत नामांतरण प्रकरण का निराकरण यथाशीघ्र करें। **प्रशासकीय सदस्य**	